कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/अप्रमुवसं30/2003/3993 भोपाल, दिनांक 16/05/03

प्रति,

1- समस्त वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन)
मध्यप्रदेश

2- समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय), उत्तादन कार्य
मध्यप्रदेश

विषयः- कष्ठागार में शुद्ध लाट बनाये जाने बाबत ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि इस कार्यालय के द्वारा समय समय पर शुद्ध लाट बनाये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है । शुद्ध लाट से तात्पर्य है कि ऐसे लाट जिसमें एक ही प्रजाति, एक ही ग्रेड, एक ही लम्बाई वर्ग एवं एक ही गोलाई वर्ग की काष्ठ रखी गयी हो । दूसरे शब्दों में सामान्यतः शुद्ध लाट में एक ही थप्पी होना चाहिए । इस हेतु काष्ठागार के लिये विशेष रूप से थप्पीकरण प्लान (Staking Plan) बनाया जाना आवश्यक है । इस थप्पीकरण प्लान में एक डंपिंग प्लाट (ट्रक खाली करने की जगह) मध्य में छोड़ा जाता है एवं इसके दोनों ओर काष्ठ की थप्पियाँ लगायी जाती है । काष्ठ की थप्पियाँ लगाते समय डंपिंग प्लाट के एक तरफ उच्च श्रेणी की काष्ठ तथा दूसरी तरफ निम्म श्रेणी की काष्ठ को थप्पीकृत किया जाता है । थप्पीकरण करने के लिये विभिन्न लंबांई वर्गो के लिये पृथक-पृथक लंबाई वर्ग के अनुसार लाईने बनायी जाकर प्लाट बनाये जाते है । इस प्रकार एक लंबाई वर्ग के लिये बनायी गई लाईन में बनाये गये प्लाटों में से एक ही गोलाई वर्ग की काष्ठ को थप्पी करने के लिये प्लाट आरक्षित कर दिया जाता है । इस प्लाट की चौड़ाई एक प्लाट में थप्पी की जाने वाली मात्रा पर निर्भर करती है । इस प्रक्रिया से विभिन्न प्रजाति, ग्रेड एवं लंबाई वर्ग की काष्ठ को मिलाया जाना सेभव नहीं हो पाता है । सिर्फ दो निकटतम गोलाई वर्गो की काष्ठ को ही मिलाया जाना संभव हो पाता है । अतः अपरिहार्य परिस्थितियों में निम्नानुसार गोलाई वर्गो की काष्ठ को मिलाकर एक लाट वनाया जा सकता है :-

(ए) लट्ठाः-

1- 60 से.मी. गोलाई वर्ग तक की काष्ठ

2- 61 -75 एवं 76-90 से.मी. गोलाई वर्ग की काष्ठ

2- 91-105 एवं 106-120 से.मी. गोलाई वर्ग की काष्ठ

2- 120 सें.मी. गोलाई वर्ग से अधिक की काष्ठ

(बी) बल्ली एवं डेंगरीः-

1- बल्ली/डेंगरी को लट्ठों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिये ।

2- बल्ली एवं डेंगरी की काष्ठ को एक साथ नहीं मिलाया जाना चाहिये ।

3- 15-20 सें.मी. गोलाई की बल्ली एवं डेंगरी को 31-40 सें.मी. की बल्ली/डेंगरी के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिये

उपरोक्तानुसार गोलाई वर्ग की काष्ठ को छोड़कर अन्य किसी गोलाई वर्ग की काष्ठ के साथ मिलाकर लाट नहीं बनाये जाना चाहिये । विदोहन वर्ष 2003-2004 में उपरोक्तानुसार डिपो में लाट बनाये जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश 9.9.2003 की कार्यशाला में दिये जा चुके है, किसकी एतद पुष्टि की जाती है । कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों की यथासंभव पालन कराने की व्यवस्था करें ।

अपर प्रधान मख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/अप्रमुवसंअ0/2003/3994 भोपाल, दिनांक 16/05/03

प्रतिलिपि:-

1- समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

2- समस्त वन संरक्षक, कार्य आयोजना, म0प्र0

3- समस्त वन मण्डलाधिकारी कार्य आयोजना, म0प्र0

4- मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना, भोपाल, जबलपुर, इंदौर

5- संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, पोलीपाथर जबलपुर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल